राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 24152 दिनांक : 08/11/2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय निकायों में **"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** का मुख्य चरण दिनांक 02.10.2021 से 31.03.2022 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों / समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना हैं।

विभागीय पत्र क्रमांक 209 दिनांक 19.10.2021 के द्वारा धारा 69–A के लिए सफाई कर्मचारी / निरीक्षक / अन्य कर्मचारियों के माध्यम से घर–घर जाकर निर्धारित प्रपत्र में 07 दिवस में सर्वे करवाने हेतु सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया था।

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत अभियान अवधि में 69–A के अन्तर्गत पट्टे जारी करने के लिए विभागीय आदेश दिनांक 29.10.2021 के द्वारा शुल्क को कम कर दिया गया है। इससे अधिक लोग पट्टा बनाने के इच्छुक होगें। अतः शहर के चार दिवारी / सघन आबादी क्षेत्र के मकानात का सघन सर्वे कराया जावे तथा शुल्क कम होने की जानकारी उक्त क्षेत्र को लोगों को दी जाकर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों का अधिकाधिक प्रचार प्रचार किया जावे ताकि अधिक लोग पट्टे के लिए आवेदन कर सके।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 24153-380 दिनांक : 08/11/2021
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
07. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को पर्यवेक्षण हेतु।
08. समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिका, राजस्थान को पालनार्थ।
09. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. रक्षित प्रति।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक